



शांति और सुरक्षा

क्या आपने 'शांति और सुरक्षा' के विषय में सुना है? जब शहर में या किसी राज्य के भीतर या किसी अन्य क्षेत्र में कुछ हिंसक गतिविधि होती है, हमें बताया जाता है कि वहाँ शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। यदि देश के भीतर कुछ उथल-पुथल होती है, तो इसको राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा कहा जाता है। यदि पुलिस बल या सेना को किसी क्षेत्र में विशेष रूप से तैनात किया जाता है यह शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जाता है। दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है या देश में कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरा है। हमें यह भी बताया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए योगदान कर रहे हैं। इन दो शब्दों शांति और सुरक्षा का अलग-अलग भी प्रयोग किया जाता है। सभी धर्म शांति की बात करते हैं। व्यक्तिगत रूप से, हम मन की शांति या परिवार या समुदाय में शांति के बारे में चिंतित रहते हैं। हम यह भी पढ़ते हैं कि जब लड़कियाँ और महिलाएँ घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर उनके परिवारों की चिंता बढ़ जाती है। समय-समय पर अलग-अलग संदर्भों में और अलग-अलग तरीकों से इन शब्दों का प्रयोग हमें भ्रम में डालता है। इसलिए हम व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में शांति और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे।



उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आप सक्षम हो जायेंगे :

- विभिन्न संदर्भों में शांति और सुरक्षा के अर्थ की व्याख्या करने में;
- शांति और सुरक्षा के पारंपरिक और नई समझ की सराहना करने में;
- लोकतंत्र और विकास के लिए आवश्यक शर्त के रूप में शांति और सुरक्षा को रेखांकित करने में
- शांति और सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए उपागम और विधियों की सराहना करने में।

- उग्रवादी गुटों के विद्रोह से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की पहचान करने में और
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भारत के योगदान और संयुक्त राष्ट्र में इसकी भागीदारी का आकलन करने में।

27.1 शांति और सुरक्षा

27.1.1 अर्थ

प्रारम्भ में हम निम्नलिखित दिलचस्प कहानी की सहायता से शांति और सुरक्षा का अर्थ समझते हैं।

1. शांति

एक बार एक राजा ने कलाकारों को शांति पर सबसे अच्छा रंगीन चित्र बनाने पर पुरस्कार देने की घोषणा की। कई कलाकारों ने कोशिश की। राजा ने सभी चित्रों को देखा और दो चित्र छांटे जिनमें से वह अंततः एक सबसे अच्छा चित्र चुन सके। एक चित्र में एक शांत झील को चारों तरफ के पहाड़ से एक सही दर्पण के रूप में दर्शाया गया था। ऊपर नीले आकाश में सफेद बादल को खूबसूरती से झील में दर्शाया गया था। हर किसी ने सोचा कि वह शांति का एक सही चित्र था। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, लेकिन वह बीहड़ और नंगे थे। ऊपर आसमान से एक तूफानी बारिश गिर रही थी और बिजली चमक रही थी। नीचे पहाड़ की बगल में तीव्र गति से बहते हुए एक विशाल झरने के पानी को झाग के रूप में दर्शाया गया था। लेकिन झरने के पीछे एक झाड़ी में एक पक्षी का घोंसला बना था और पक्षी शांति से अपने बच्चों को खाना खिला रहा था। आपके अनुसार कौन से चित्र को पुरस्कार मिला होगा? राजा ने दूसरे चित्र को चुना। क्या आप जानते हो क्यों? राजा ने कारण बताया। शोर, परेशानी, या गड़बड़ी की अनुपस्थिति का तात्पर्य शांति नहीं है, शांति का अर्थ है इन सब के बीच में रहकर हृदय में शांति बनाए रखना।

क्या आपको लगता है कि राजा द्वारा चुना गया चित्र सही अर्थों में शांति को दर्शाता है? दरअसल शांति का अर्थ वह मानसिक स्थिति नहीं है जहाँ उपद्रव व टकराव का निरा अभाव हो। वास्तव में, मानवीय दुनिया में गड़बड़ी या संघर्ष का पूर्ण अभाव असंभव है। हम शांति को सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं न कि उस संदर्भ में जहाँ मनुष्य नहीं हैं। हम, इसलिए, इसे परिभाषित कर रहे हैं : शांति एक सामाजिक और राजनैतिक स्थिति है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करती है। यह सामंजस्य की स्थिति है जिसकी विशेषता है स्वस्थ सम्बंधों का अस्तित्व। यह वह अवस्था है जिसका सम्बन्ध सामाजिक या आर्थिक कल्याण तथा समानता से है। इसका सम्बंध एक कार्यशील राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें सब के सच्चे हितों की पूर्ति होती है।

2. सुरक्षा

शब्द 'सुरक्षा' हमारे दैनिक जीवन की बातचीत में, समाचार पत्रों में, अधिकारिक परिचर्चा में भी प्रकट होता रहता है। सुरक्षा की बात व्यक्तिगत, संस्थागत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय से लेकर अन्तरराष्ट्रीय





स्तर तक होती है। हम सब विभिन्न उपायों के द्वारा अपने घरों या उन क्षेत्रों को जहाँ हम रहते हैं सुरक्षित करते हैं। हम जानते हैं कि मंत्रियों और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रमुख सरकारी और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों या धमकी के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रयोग उसके विभिन्न अर्थों की ओर संकेत करता है। सामान्यतः इसका अर्थ है सुरक्षित अवस्था या भयमुक्त भावना। व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र, विश्व की कुशलता भी इसका अर्थ है। हालांकि मौलिक तौर पर सुरक्षा का अर्थ है बेहद खतरनाक संकटों से बचाव। यह मानवाधिकार जैसे बुनियादी मूल्यों के प्रति खतरों से भी सम्बंधित है।

3. शांति और सुरक्षा

दोनों शब्दों के विभिन्न अर्थ जान लेने के बाद यह तय है कि शांति और सुरक्षा अविभाज्य हैं। साथ-साथ देखने पर पता चलता है कि यह वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति, संस्थाएँ, क्षेत्र, राष्ट्र व विश्व बिना किसी खतरे के एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में क्षेत्र, राष्ट्र सामान्य रूप से शासित और मानवाधिकार के प्रति आदरवान होते हैं। संघर्ष न सिर्फ संकट और भय उत्पन्न करता है, अपितु आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक प्रगति को भी बाधित करता है।



क्रियाकलाप 27.1

निम्नलिखित दो परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें और यह पहचान करें कि दोनों में से कौन-सी स्थिति शांति और सुरक्षा की सही स्थिति है? अपने उत्तर का कारण बताइए।

1. एक सैनिक तानाशाह द्वारा शासित देश में सब कुछ व्यवस्थित है। वहाँ हर जगह शांति दिखाई देती है। सत्ताधारी सूमह को सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। लोग गरीब हैं और यहाँ तक कि एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं; लेकिन वे चुपचाप सत्तारूढ़ गुट की बात मानते हैं। वहाँ न कोई विरोध है और नही सरकार को कोई खतरा। बाहरी खतरे के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है।
2. एक लोकतांत्रिक देश है जो सामाजिक-आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लोग सभी बुनियादी अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय का आनन्द ले रहे हैं। वे स्वतंत्र रूप से अपनी बात सरकार तक पहुँचाते हैं। कभी-कभी, वहाँ शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन होते हैं जिनके प्रति सरकार सकारात्मक रवैया अपनाती है। लोग अपने दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है।

27.1.2 शांति और सुरक्षा की पारम्परिक और नई समझ

जब हम शांति और सुरक्षा की बात करते हैं तब हम अक्सर इसे परम्परागत धारणा से जोड़ देते हैं जो युगों से सैनिक या सशस्त्र संघर्ष या धमकी के खतरों पर केन्द्रित रही है। खतरे का



स्रोत एक देश द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध सैनिक कारवाई करने की धमकी होती है। यह देश की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता तथा अखंडता के अतिरिक्त उसके लोगों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा करती है। शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के रूप में सैनिक कारवाई के खतरे के कारण को सम्बंधित देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते या एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक कारवाई द्वारा समाप्त किया जाता है। देश अपनी प्रतिरक्षा की क्षमता बढ़ाकर, सीमा पर सशस्त्र बल की तैनाती करके रोकथाम के कदम भी उठाते हैं। कुछ देश दूसरे देशों के साथ यह संधि करके कि किसी भी देश के खिलाफ सैनिक कारवाई होने पर वे संयुक्त कदम उठाएंगे, शक्ति संतुलन के उपागम भी अपनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मानवता को युद्ध या सशस्त्र संघर्ष की धमकी से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया है। लेकिन शांति और सुरक्षा की नई और गैर-परम्परावादी धारणा बहुत व्यापक है तथा मात्र सामरिक धमकियों तक सीमित नहीं। इसमें सम्पूर्ण मानव अस्तित्व के प्रति व्यापक खतरे एवं आशंकाएं सम्मिलित हैं। इस अवधारणा में केवल क्षेत्र एवं राष्ट्र की ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों, समुदायों तथा पूरी मानवता को शामिल किया जाता है। सच तो यह है कि यह धारणा प्राथमिक रूप से व्यक्ति पर केन्द्रित है। यह सच है कि विदेशी आक्रमणों से लोगों की रक्षा करना शांति तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन यह ही सब कुछ नहीं है। वस्तुतः, शांति और सुरक्षा को सामाजिक-आर्थिक विकास एवं मानव गरिमा के बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाना चाहिए। शांति और सुरक्षा की नई धारणा यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को भुखमरी से मुक्त करने, उन्हें उनकी जरूरतों, बिमारियों तथा महामारियों से मुक्त कराने, पर्यावरणीय आक्रमण पर रोक लगाने तथा लोगों को शोषण तथा अमानवीय व्यवहारों से बचाने के लिए शांति तथा सुरक्षा आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में शान्ति और सुरक्षा की नयी परिभाषा में सामरिक आक्रमणों के अलावा भी अनके आशंकाए शामिल हैं। ये आतंकवाद, विद्रोह, जातिसंहार, मानवाधिकार से वंचित रखने, स्वास्थ्य संबंधी महामारियाँ, नशीले पदार्थों का व्यापार तथा प्राकृतिक संसाधनों के विवेकहीन उपयोग से संबंधित आशंकाए हो सकती हैं।



पाठगत प्रश्न 27.1

- रिक्त स्थानों को भरें :
 - शांति का अर्थ वह मानसिक स्थिति नहीं है जहाँ का निरा अभाव हो।
 - शांति सामंजस्य की स्थिति है जिसकी विशेषता है का अस्तित्व।
 - सुरक्षा का अर्थ है इसका यह भी अर्थ है
 - मौलिक तौर पर सुरक्षा का अर्थ है
- शांति व सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
- शांति और सुरक्षा के पारम्परिक तथा नई या गैर पारम्परिक अवधारणाओं के बीच तीन आधारभूत अंतर क्या हैं?



टिप्पणी

27.2 लोकतंत्र और विकास के लिए शांति और सुरक्षा

लोकतंत्र और विकास तथा शांति और सुरक्षा के बीच पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता और विकास नहीं हो सकता। चुनाव के संचालन के लिए शांति आवश्यक है। शांति के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएँ काम नहीं कर सकतीं। शांति के वातावरण में ही नागरिक विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए शांति और भी आवश्यक है। उपद्रव, हिंसा या युद्ध के माहौल में विकास गतिविधियाँ सम्भव नहीं हैं।

दूसरी ओर लोकतंत्र में विकास की अनुपस्थिति में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। मोटे तौर पर देखा गया है कि लोकतंत्र युद्ध के पक्ष में नहीं होते। कहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र के सभी देशों में यदि लोकतंत्र हो तो क्षेत्रीय शांति की सम्भावना बढ़ जाती है। जन असंतोष को बढ़ावा देने वाली शर्तों को दूर करने के लिए भी लोकतंत्र बेहतर माना जाता है। ऐसा इसलिए लोकतांत्रिक प्रणाली लोगों को शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करती है। विकास भी शांति को बढ़ावा देता है। विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित कर सकता है तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोग अभाव ग्रस्तता की भावना से पीड़ित नहीं हैं जो उन्हें विरोध और हिंसक गतिविधियों की ओर प्रेरित करती है। किसी क्षेत्र के सभी देशों में जब विकास गतिविधियाँ चलती हैं तो प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करता है कि शांति भंग न हो; नहीं तो उसका असर विकास पर पड़ेगा। विकास की पहल देशों में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता लाने में योगदान करती है।



क्या आप जानते हैं

2 सितम्बर 2000 को संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्यों द्वारा स्वीकृत सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals) ने शांति और सुरक्षा को सफल विकास के लिए मुख्य शर्त के रूप में स्वीकार किया। 2005 सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों पर विश्व शिखर सम्मेलन ने सार्वभौमिक रूप से माना कि “विकास, शांति व सुरक्षा, एवं मानवाधिकार आपस में जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे का संवर्द्धन करते हैं।”

27.3 शांति और सुरक्षा : भारतीय उपागम

किसी अन्य देश की तरह भारत में भी शांति और सुरक्षा चिन्ता का एक प्रमुख विषय रहा है। आप आखबारों में पढ़ते होंगे या रेडियो और टेलीविजन से जानकारी प्राप्त करते होंगे कि हमारे देश में शांति और सुरक्षा को बाह्य और आंतरिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। भारत की भौगोलिक स्थिति तथा विश्व शक्ति के रूप में इसका उदय इसे बाहरी खतरों के प्रति अतिसंवेदनशील बनाता है। भारत को सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध ही नहीं लड़ना पड़ा है बल्कि अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद से भी जूझना पड़ा है। आजादी से ही भारत विद्रोही एवं अलगाववादी आंदोलनों के आंतरिक खतरे का सामना करता रहा है। अपनी स्वतंत्रता के दो दशकों के बाद ही भारत ने नक्सली गतिविधियों का अनुभव किया जिसने अब भयावह

रूप धारण कर लिया है। इस संदर्भ में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम काफी पहले से, वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन से ही शुरू हो गया था। संविधान में भी यह उपागम देखा जा सकता है। हालांकि जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप इस उपागम में कालांतर में परिवर्तन होते रहें हैं।

27.3.1 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शांति और सुरक्षा के उपागम का विकास

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपागम के विचार और दृष्टिों की शुरुआत हुई। नेतृत्व ने यह अनुभव किया कि स्वतंत्रता के उपरान्त लोकतांत्रिक व्यवस्था की शर्तों को पूरा किया जाये। शांति कायम रखते हुए ही विकास प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन के नेतृत्व ने विचार व्यक्त किया कि स्वतंत्र भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने तथा बढ़ावा देने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगा। उन्होंने विश्व में उपनिवेशवाद विरोधी तथा जातिभेद विरोधी सभी आंदोलनों का खुलकर समर्थन किया तथा लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। उन्होंने विश्व में उपनिवेशवाद विरोधी तथा जातिभेद विरोधी सभी आंदोलनों का खुलकर समर्थन किया तथा लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। सामाजिक न्याय तथा पंथनिरपेक्षता पर बल देते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समाजवादी उपागम अपनाए पर हुई आम सहमति का लक्ष्य ऐसी शर्तें तैयार करना था जो शांति के लिए आंतरिक खतरों के विरुद्ध सुरक्षा को बढ़ावा दें।



क्या आप जानते हैं

जवाहरलाल नेहरू ने कहा था:

“परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत ने जो नीति अपनायी है वह नकारात्मक और तलस्थ नहीं है। यह एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण नीति है जो स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष तथा महात्मा गांधी के विचारों से निकलती है। प्रगति और विकास के लिए भारत में हमारे लिए शांति न सिर्फ परम आवश्यक है बल्कि विश्व के लिए भी सर्वोच्च महत्व की है।”

कोलंबिया विश्वविद्यालय में पंडित नेहरू के भाषण से उद्धृत (1949)

27.3.2 संविधान में शांति और सुरक्षा

संविधान निर्माण की प्रक्रिया काफी हद तक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित विचारों से प्रभावित है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अध्याय में शांति और सुरक्षा की चर्चा की गई है। संघीय व्यवस्था तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि शक्ति का और केन्द्रीकरण न हो क्योंकि केन्द्रीकरण क्षेत्रीय और स्थानीय असंतोष को जन्म देता है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। संघीय व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित निर्णय राज्य सरकारें लेती हैं जो राज्य के लोगों की सभी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में हैं। स्थानीय सरकारें विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन सहभागिता सुनिश्चित करती हैं तथा सभी जरूरतों और आवश्यकताओं का ख्याल रखती हैं।





टिप्पणी



क्या आप जानते हैं

संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार :

“राज्य प्रयास करेगा : (क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का (ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और (घ) अन्तरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का।

शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने इसतरह एक बहुआयामी उपागम और विधि अपनायी। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इसने अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की नीति अपनायी। शांति, न्यायोचित आर्थिक विकास, मानवाधिकार को बढ़ावा तथा आंतकवाद का उन्मूलन करने वाले प्रयासों का समर्थन करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, यह स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय, पंथनिरपेक्षता, न्यायोचित आर्थिक विकास तथा सामाजिक विषमाताओं को दूर करने के प्रति बचनबद्ध है। यह अपने सभी नागरिकों को सिर्फ चुनावों में ही नहीं बल्कि विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भाग लेने का समान अवसर प्रदान करता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि समाज का कोई भी वर्ग यह अनुभव न करे कि उसके विरुद्ध कोई भेदभाव हो रहा है या उनके हितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा क्योंकि यही भेदभाव की भावना असंतोष को जन्म देती है और विद्रोह और राजनीतिक हिंसा की ओर ले जाती है जो शांति और सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरा है।



पाठगत प्रश्न 27.2

1. भारत को अन्तरराष्ट्रीय और आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए विशेष उपागम विकसित करने और अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
2. शांति और सुरक्षा के उपागम के विकास में राष्ट्रीय आन्दोलन का क्या योगदान रहा?
3. भारत के संविधान में वर्णित शांति और सुरक्षा का उपागम क्या है?
4. आपके अनुसार शान्ति और सुरक्षा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है?

27.4 शांति और सुरक्षा के आंतरिक खतरे

आपने देखा होगा कि जब भी जान-माल को क्षति पहुँचाते हुए कोई आक्रमक विरोध एवं प्रदर्शन या हिंसक गतिविधियाँ होती हैं तो यह शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। किन्तु ऐसी कई घटनाएँ कानून व्यवस्था की समस्याएँ होती हैं जिन्हें पुलिस स्थानीय रूप से सुलझाती है। हमारे लोकतंत्र में ऐसे विराध, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद और अन्य आंदोलन सरकार या अन्य सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान विशेष मांगो और चिंताओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। हालांकि भारत आंतकवाद या विद्रोह या नक्सल आंदोलन के वेष में कई तरह की हिंसक गतिविधियों का अनुभव करता रहा है जो शांति और सुरक्षा के लिए अधिक गम्भीर खतरे हैं।



27.4.1 आतंकवाद

आतंकवाद हमारे देश में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 26 नवम्बर, 2008 जो आम तौर पर 26/11 के नाम से जाना जाता है, का मुम्बई पर आतंकवादी हमला बहुत ही घिनौनी घटना का प्रतीक है। वास्तव में, स्वतंत्रता से ही देश के विभिन्न भागों में ऐसी गतिविधियाँ होती रही है। ये आतंकवादी जो हिंसक गतिविधियाँ करते हैं वे या तो विदेशी लोग हैं या ऐसे भारतीय युवक पड़ोसी देशों में प्रशिक्षित, उनके द्वारा समर्थित तथा पथ भ्रष्ट हैं। कभी-कभी हम आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा करने में भ्रमित हो जाते हैं। वास्तव में आतंकवाद की परिभाषा को लेकर कोई आम समझ नहीं है। हालांकि भारत के संदर्भ में मोटे तौर पर आतंकवाद आवश्यक रूप से एक आपराधिक गतिविधि है जिसके द्वारा भय का माहौल बनाने के लिए तथा सामान्य रूप से राजनीतिक तथा वैचारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आम नागरिकों पर घातक हमला किया जाता है। आतंकवाद एक अपराधी कार्य है। ये कार्य किसी भी परिस्थिति में अन्यायसंगत है चाहे इसको उचित ठहराने के लिए राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक, नस्लीय, प्रजातीय, धार्मिक या अन्य किसी प्रकार का तर्क दिया जाय।



चित्र 27.1 मुम्बई में आतंकी हमला



क्या आप जानते हैं

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने 2004 में आतंकवाद की भर्त्सना का एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में आतंकवाद को निम्नांकित ढंग से परिभाषित किया गया था :

आतंकवाद “आम जनता या व्यक्तियों के एक समूह पर विशिष्ट व्यक्तियों में आतंक पैदा करने जनता को भयभीत करने या किसी सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को कुछ करने या नहीं करने के लिए बाध्य करने के इरादे से लोगों की जान लेना या उन्हें गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाने या उन्हें बंधक बनाने के उद्देश्य से किए जानेवाले आपराधिक कृत्य हैं। इनमें वे सभी कृत्य सम्मिलित हैं जो आतंकवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों तथा विज्ञापियों द्वारा परिभाषित अपराधों के क्षेत्र में आते हैं। इन कृत्यों को राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक,



प्रजातिगत, विजातीय, धार्मिक या अन्य किसी तरह के तर्क के आधार पर किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः सभी राज्यों से यह अपील की जाती है कि वे ऐसे कृत्यों पर रोक लगाएँ और यदि रोक नहीं सकें तो ऐसे कृत्यों के लिए गंभीरता के दंडित करें।

जैसा कि हमने अनुभव किया है कि आतंकवादी सैकड़ों निर्दोष लोगों को जान से मारने और घायल करने के उद्देश्य से भीड़ भाड़वाले सार्वजनिक स्थान पर बम धमाका करते हैं या अंधाधुंध गोली चलाते हैं। गिरफ्तार और जेल में सड़ रहे आतंकवादियों को छुड़ाने जैसी मांगों को मनवाने के लिए वे हवाई जहाज का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष यात्रियों की जान लेते हैं ताकि सरकार को मजबूर किया जा सके। गतिविधियों से सार्वजनिक और व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी क्षति पहुँचती है। वे आतंक का माहौल बनाने के लिए तथा लोगों को और सरकार को डराने के लिए धिनौने कार्य करते हैं।



क्रियाकलाप 27.2

1992 के बाद किए गए भारत के विभिन्न शहरों में आतंकवादी हमलों के बारे में जानकारी एकत्र करें और निम्न तालिका में उनकी सूची तैयार करें :

| क्रं.सं | आतंकी हमले की तिथि | शहर का नाम | हमले का प्रकार बम विस्फोट या गोलीबारी या दोनों | मृत और घायलों की संख्या |
|---------|--------------------|------------|---|-------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

27.4.2 विद्रोह

विद्रोह, सरकार जैसी गठित एक संस्था के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह है। आजादी से ही भारत ने विद्रोही आन्दोलन से संबंधित हिंसा का अनुभव किया है। मोटे तौर पर उन्हे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : राजनीतिक उद्देश्य से चलाए गए आंदोलन तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए आन्दोलन। सबसे प्रमुख उग्रवादी गुट है: जम्मू और कश्मीर तथा असम में कार्यरत हिंसक चरमपंथी अलगावादी, तथा भारत के उत्तर-पूर्व राज्यों; अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में विभिन्न उग्रवादी गुट। हालांकि इन गुटों के सभी सदस्य भारतीय हैं, परन्तु उन्हें पड़ोसी देशों से सहायता मिलती है। ये उग्रवादी आंदोलन चल रहे हैं क्योंकि इनमें शामिल गुट अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं जबकि कुछ ऐसे भी गुट हैं, विशेषकर जम्मू-कश्मीर और असम में, जिनका राजनीतिक एजेंडा है। वे देश से पृथक होने लिए संघर्षशील हैं। उन गुटों को पड़ोसी देशों तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी गुटों का सक्रिय सहयोग प्राप्त है।



27.4.3 नक्सलवादी आंदोलन

विभिन्न प्रकार की जटिलवाओं के कारण नक्सलवादी आंदोलन चिंता का विषय है। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के एक गाँव से हुई, किन्तु अब यह लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हुए बारह राज्यों के 125 जिलों में फैल गया है। नक्सलवादी अक्सर सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी अधिकारियों, पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों तथा ऐसे लोगों पर जिन्हें वे अपना दुश्मन समझते हैं, हमला करते हैं। वे वन क्षेत्र के अंतर्गत किसी विकास कार्य के भी खिलाफ हैं। सरकार गाँवों तथा जंगलों में पक्की सड़क बनाना चाहती है परन्तु नक्सलवादी किसी भी विकास कार्य को हतोत्साहित करते हैं। उन्हें पता है एक बार विकास हो जाता है तो वे शायद लोगों का समर्थन खों बैठेंगे। इसलिए वे निर्दोष लोगों को मुमराह करते हैं कि सरकार उनसे खनिज सम्पदा तथा उनके जंगल उनसे छीनना चाहती है। दुर्भाग्य से इस आंदोलन के उद्भव और प्रसार का बुनियादी कारण समाज के कुछ वर्गों के बीच असंतोष है। वे युवक जो इस आन्दोलन की हिंसक गतिविधियों में लगे हुए हैं मोटे तौर पर समाज के उन वर्गों से जुड़े हुए हैं युगों से सामाजिक भेदभाव और आर्थिक अभाव का खामियाजा भुगत रहे हैं जैसे अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति तथा दलित। आपको पता होगा या आपने अनुभव भी किया होगा कि किस तरह इन वर्गों के सदस्यों को समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार सहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, भारत में हो रहे विकास के लाभ उन वर्गों तक पूरी तरह नहीं पहुँच रहे हैं। कारण जो भी हो, विकास उन लोगों की आशा और आकांक्षाएँ पूरा करने में सफल नहीं है।



चित्र 27.2 नक्सलवादी



क्या आप जानते हैं

भारत में नक्सली विद्रोह मार्च 1967 में शुरू हुआ जब चारू मजुमदार और कानु सन्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक गुट ने नक्सलवादी में किसान विद्रोह शुरू किया। ऐसे तब हुआ जब न्यायिक आदेश के बावजूद एक आदिवासी युवक को अपनी जमीन जोतने से रोका गया और स्थानीय जमींदार के गुण्डों ने उस पर हमला किया आदिवसियों ने जवानी कारवाई की और भूमि के मालिक को उपज में उसका हिस्सा देने से इन्कार कर दिया और उसके भंडार से सारा अनाज उठा लिया। एक ऐसी आग भडकी जो पूरे राज्य में फैल गया। जल



प्रयोग द्वारा कुछ भूमि सुधार लाया गया। यह आंदोलन का पहला चरण था। बाद में राज्य के लिए चुनौती पेश करते हुए नक्सलवादी आंदोलन का दूसरा चरण नौ राज्यों में फैल गया-बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आदिवासी बहल क्षेत्रों में नक्सलवादी कंगारू कोई (स्वयं भू अदालत) लगाते हैं जहाँ ठेकेदार, खदान मालिको, व्यापारियों तथा यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों पर भी पुर्माना लगाते हैं। आंदोलन ने लाखों कामगारों की सेना तथा सहानुभूति रखनेवालों को तैयार किया है जो यह मानते है कि गुटिल्ला युद्ध रणनीति द्वारा भारत को मुक्ति दिलाई जा सकती है।

27.4.4 सरकार की रणनीति

भारत सरकार आंतकवाद विद्रोह और नक्सलवादी आन्दोलन से निपटने कि लिए रणनीतियाँ और तरीके अपना रहीं है। यह आंतकवाद से लडने के लिए सभी राष्ट्रों के प्रयासों का समर्थन करती रही है तथा कभी भी आंतकवादी हमले होने पर उनका समर्थन मांगती है। कूटनीतिक दृष्टि से भारत पाकिस्तान तथा अन्य पड़ोसी देशों पर अर्न्राष्ट्रीय दबाव बनाती है कि वे ऐसे आंतकवादी गुटों को अपना सक्रिया समर्थन न दें। जहाँ तक राजनीतिक उद्देश्यों के दृष्टिगत विद्रोही गतिविधियों का सवाल है, भारत सरकार इससे कूटनीति से निपटने की कोशिश बांग्लादेश के साथ संधि की है कि वे विद्रोही आंदोलन को सहायता और समर्थन देने से बचें। ऐसा करने के लिए भारत पाकिस्तान पर भी अर्न्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। नक्सलवादी आंदोलन के संदर्भ में राज्य सरकारों ने प्रारम्भ में इसे कानून-व्यवस्था की समस्या माना। लेकिन यह महसूस किया गया कि यह एक ज्यादा गम्भीर मुद्दा है जिसके गहरे सामाजिक आर्थिक आयाम हैं। उन क्षेत्रों में विकास के गति बड़ाने तथा युवकों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।



क्रियाकलाप 27.3

निचे लिखे गए कथन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए आसानी से उपलब्ध अपने मित्र, सहपाठी, अध्यापक या किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध करें। उनकी संख्या कम-से-कम पाँच हो। उन्हें कथन से सहमत या असहमत होने के कारण बताना चाहिए।

1. सरकार को नक्सलवादी आंदोलन को कुचल देना चाहिए, सभी नक्सलियों को बन्दी बना लेना चाहिए या जान से मार देना चाहिए ताकि शांति और सुरक्षा को कोई खतरा न हो।
2. शांति और सुरक्षा को भंग करने से प्रभावी ढंग से रोकने , उन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को तेज करने के लिए सरकार को नक्सलवादी आन्दोलन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए नक्सलियों को हिंसा का त्याग कर मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।

निम्न तालिका में उत्तर के कारणों को लिखें। इन उत्तरों के आधार पर, एक संक्षिप्त लिखें कि आप किस तरह नक्सलावादी आंदोलन की समस्या को हल कर सकते हैं



| कथन सं. | कारण |
|---------|----------------------------|
| कथन 1 | 1. 2. 3. 4. 5. |
| कथन 2 | 1. 2. 3. 4. 5. |



पाठगत प्रश्न 27.3

1. रिक्त स्थानों को भरें :

- (क) भारत में इन रूपों में हिंसक गतिविधियों का अनुभव किया गया : (i)(ii) (iii)
- (ख) आंतकवाद एक आपराधिक गतिविधि है जिसके द्वारा (i) तथा समान्य रूप से राजनीतिक तथा वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्राम नागरिकों पर (ii) किया जाता है।
- (ग) भारत में विद्रोह दो तरह के है : (i) चलाए गए आंदोलन (ii) आंदोलन।

2. विद्रोह से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन सी मुख्य राणनीतियाँ अपनाई गई हैं?

3. आपके अनुसार , विद्रोह की समस्या का हल करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?

27.5 भारत और अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर समान रूप से परेशान रहा है। यह इसकी प्रगति के लिए आवश्यक है। अन्य राष्ट्रों की तरह, भारत की विदेश नीति भी राष्ट्रीय हित पर आधारित है। भारत ने एक ऐसी विदेश नीति अपनाई है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और विशेष कर हमारे पड़ोस में तथा हमारे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा मुख्य चिंता का विषय है। वास्तव में स्वतंत्रता



से ही भारत के विदेश नीति के मुख्य ददेश्य हैं (क) विदेश नीति निर्माण में स्वतंत्रता; (ख) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा; (ग) अन्य राष्ट्रों तथा विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध; (ड) शस्त्रीकरण; उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जाति भेद का विरोध; (च) विकासशील देशों में सहयोग। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस विदेश नीति का भारत ने निरन्तर पालन किया उसे गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं, हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव के संदर्भ में इसमें बदलाव भी लाए गये हैं।

27.5.1 गुट निरपेक्षता की नीति

गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। भारत ने उस युग में गुट निरपेक्षता की अवधारणा की विकास प्रक्रिया का नेतृत्व किया जब विश्व दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित था: प्रथम गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमों देशों और दूसरा गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का था। यह दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध की स्थिति के रूप में जाना जाता था। सीधे तौर पर युद्ध में टकराए बिना शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य अफ्रिका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के देशों को अपने गुट में शामिल करने की होड़ थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद प्रारम्भ हुआ और 45 वर्षों तक चला। ये दोनों शक्तिशाली देश दो विपरीत ध्रुव बन गए और विश्व राजनीति इनके इर्द गिर्द घुमने लगी। वास्तव में विश्व द्वि-ध्रुवीय बन गया।

अमेरिका तथा सोवियत संघ द्वारा गठित दो सैन्य संधियों में बिना शामिल हुए गुट निरपेक्षता का उद्देश्य विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र रहने का था। गुट निरपेक्षता न तो तटस्थता थी, और न ही अलगाववाद। यह एक ऐसी गतिशील सक्रिय अवधारणा थी जिसका अर्थ था किसी सैन्य गुट से प्रतिबद्ध हुए बिना हर मामले के गुण-दोष के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राय रखना। विकासशील देशों में गुट निरपेक्षता की नीति के कई समर्थक थे क्योंकि इसने उन्हें अपनी प्रभुसत्ता सुरक्षित रखने का अवसर प्रदान किया, साथ ही इसने तनाव युक्त शीत युद्ध की अवधि में उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया। गुट निरपेक्षता के मुख्य निर्माता तथा गुट निरपेक्षता आंदोलन के अग्रणी सदस्य के रूप में भारत ने इसके विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। आकार और महत्व को नजर अन्दाज करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन सभी सदस्य देशों को वैश्विक निर्णय निर्धारण तथा विश्व रातनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।



क्या आप जानते हैं

नेहरू ने गुट निरपेक्ष देशों में युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो तथा मिस्त्र के कर्नल राष्ट्रपति नासिर के साथ विशेष संबंध स्थापित किया। इन तीनों को गुट निरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक माना जाता है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन नव स्वतंत्र देशों का समूह था जिन्होंने पूर्व औपनिवेशिक ताकतों का आदेश मानने से इन्कार कर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने स्वतंत्र निर्णय के अनुसार काम करने का निर्णय लिया। गुट निरपेक्ष आन्दोलन अपने दृष्टिकोण में साम्राज्यवाद विरोधी भी रहा है।



चित्र 27.3 नेहरू, एंक्रुमा, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो (बाएँ से दाहिने) गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता

गुट निरपेक्ष आंदोलन चूंकि शीत युद्ध तथा द्विध्रुवीय विश्व का परिणाम था, सोवियत संघ के विघटन के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न लगे। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रथम, सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनियाँ के सामने एक घुविय विश्व का खतरा बना हुआ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन अमेरिकी प्रभुत्व पट रूकावट का काम कर सकता है। द्वितीय; विकसित (उत्तर) और विकासशील (दक्षिण) विश्व कई आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर विभाजित है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन विकासित देशों के साथ एक अर्थपूर्ण वार्तालाप के लिए विकासशील देशों को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, गुट निरपेक्ष आंदोलन दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक शक्तिशाली संगठन साबित हो सकता है। विकासशील देशों को विकसित देशों के समक्ष अपनी स्थिति मजबूत करने के लिये भी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन आवश्यक व सार्थक है। अंततः विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र में सुधार तथा 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल उसे ढालने के लिए विकासशील देशों को गुट निरपेक्ष आंदोलन के झंडे तले एक जुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा।

27.5.2 संयुक्त राष्ट्र को समर्थन

भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र को विश्व राजनीति में शांति और सुरक्षा तथा शांतिपूर्ण परिवर्तन के वाहक के रूप में देखा है। संयुक्त राष्ट्र के 51 में से एक संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के उसके प्रयासों का खुलकर समर्थन करता रहा है। भारत ये आशा करता है कि संयुक्त राष्ट्र वार्ता के द्वारा देशों के बीच मतभेद को कम करने के लिए प्रयास करता रहेगा। इसके अतिरिक्त भारत ने विकासशील देशों के विकास प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका की भी वकालत की है। इसने संयुक्त राष्ट्र में इन देशों की सामान्य एकजुटता की बात की है। इसका मानना है कि गुट निरपेक्ष देश अपनी संख्या के दम पर महाशक्तियों को अपने हित में इस विश्व संस्था का इस्तेमाल करने से रोककर संयुक्त राष्ट्र में एक सकारात्मक तथा अर्थपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए इसके सुधार की प्रक्रिया की पहल की गई है तथा इसके स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की सम्भावना है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिये भारत की प्रमुख दावेदारी है।



मॉड्यूल - 4

समसामयिक भारत : मुद्दे एवं
चुनौतियाँ



टिप्पणी

शांति और सुरक्षा



चित्र 27.4 संयुक्त राष्ट्र भवन, न्यूयार्क



क्रियाकलाप 27.4

सुरक्षा परिषद् की कुल सदस्य संख्या की जानकारी एकत्र करें और पता करें कि इसके कितने स्थायी सदस्य हैं। यह जानकारी आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर पुस्तक में देख सकते हैं या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर निम्न विषयों का समावेश करते हुए एक लेख लिखिए : (क) सिर्फ इन्ही देशों को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनाया गया? (ख) भारत को इसका स्थायी सदस्य क्यों बनाना चाहिए?



पाठगत प्रश्न 27.4

1. भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य क्या हैं?
2. भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनायी?
3. रिक्त स्थानों को भरें:
 1. भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का था।
 2. भारत ने संयुक्त राष्ट्र को हमेशा विश्व राजनीति में वाहन के रूप में देखा।
 3. भारत संयुक्त राष्ट्र का तथा जैसे अन्य प्रयासों में खुलकर समर्थन करता रहा है।
 4. सुरक्षा परिषद् का बनने की भारत की प्रमुख दावेदारी है।



आपने क्या सीखा

- शांति और सुरक्षा एक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व बिना किसी खतरे के आगे बढ़ते हैं।



- शांति एक सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था है जो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करता है। यह सद्भावना की स्थिति है जिसमें निम्न बातें पाई जाती हैं : (क) स्वस्थ अन्तरवैयक्तिक या अन्तर समूह या अन्तर क्षेत्रीय या अन्तर राज्य या अन्तरराष्ट्रीय सम्बंधों का अस्तित्व; (ख) सामाजिक या आर्थिक कल्याण में समृद्धि; (ग) समानता की स्थापना; (घ) सभी के सच्चे हितों की रक्षा करने वाली कार्यशील राजनीतिक व्यवस्था। अन्तर राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में शांति केवल युद्ध या संघर्ष का अभाव नहीं है बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक समझ और एकता की भी उपस्थिति है सच्ची शांति की प्राप्ति के लिए सम्बंधों में सहिष्णुता की भावना होती है।
- सामान्य अर्थों में, सुरक्षा का अर्थ है भयमुक्त सुरक्षित अवस्था या भावना। इसका अर्थ एक व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र या विश्व की सुरक्षा भी है। हलांकि सुरक्षा का मौलिक अर्थ है अत्यधिक भयानक खतरे से बचाव। इसका संबंध उन संकटों से भी है जिससे मानवधिकार जैसे आधारभूत मूल्यों को खतरा है।
- पारम्परिक रूप से शांति और सुरक्षा युगों से सैनिक, सशस्त्र संघर्ष या धमकी के खतरों पर केन्द्रित रहा है। परन्तु नई समझ मानवीय शांति और सुरक्षा या वैश्विक शांति और सुरक्षा पर केन्द्रित है। यह मूलरूप से व्यक्ति को सम्बोधित करता है तथा सामाजिक आर्थिक विकास तथा मानव गरिमा के रखरखाव की पूर्व शर्त है।
- शांति और सुरक्षा लोकतंत्र और विकास की आवश्यक शर्त है। वास्तव में, लोकतंत्र और विकास तथा शांति व सुरक्षा में पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता और विकास के अभाव में शांति की स्थापना नहीं हो सकती।
- भारत में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपागम और तरीके काफी पहले, वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही विकसित होने शुरू हो गए थे। यह उपागम संविधान में भी परिलक्षित होता है। हलांकि जरूरतों के अनुसार कालान्तर में इस उपागम में बदलाव आ रहे हैं।
- शांति और सुरक्षा के गम्भीर खतरे के रूप में भारत आंतकवाद, विद्रोह या नक्सलवादी आंदोलन के भेस में कई तरह के हिंसात्मक गतिविधियों का अनुभव करता रहा है। भारत सरकार आंतकवाद, विद्रोह और नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ तथा तरीके अपनाती रही है।
- भारत अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व ने घोषणा की कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति की नीति को विकास के लिए आवश्यक मानता है। यही कारण है कि अन्य देश की तरह, भारत की विदेशी नीति राष्ट्रीय हित तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है।
- गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। विश्व जब दो गुटों में विभाजित था उस अवधि में भारत ने गुट निरपेक्षता की अवधारणा के विकास की प्रक्रिया को नेतृत्व प्रदान किया। आकार और महत्व को नजर अंदाज करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन सभी सदस्य देशों को विश्व निर्णय निर्माण तथा विश्व राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

मॉड्यूल - 4

समसामयिक भारत : मुद्दे एवं
चुनौतियाँ



टिप्पणी

शांति और सुरक्षा

- भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति बहाली कार्रवाई को तथा निरस्त्रीकरण जैसे अन्य प्रयासों में अपना पूरा समर्थन देता रहा है। साथ ही, भारत विकासशील देशों के विकास प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका की वकालत करता है। भारत दूसरी सबसे तेजी से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था है, इसका सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में शांति बहाली, तथा विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने का रिकार्ड रहा है, इसलिए भारत का सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बनने का मजबूत दावा है।



पाठान्त प्रश्न

1. शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है? इसकी पारम्परिक धारणा नई धारणा से किस तरह भिन्न है?
2. क्या आप सहमत है कि शांति व सुरक्षा तथा लोकतंत्र और विकास में पारस्परिक संबंध है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए।
3. राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का शांति और सुरक्षा के खतरे से निपटने के लिए रणनीति और विधि के विकास में क्या योगदान हैं??
4. भारत में शांति और सुरक्षा के कौन से गम्भीर खतरे हैं? इनसे निपटने के लिए भारत कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति और तरीके अपनाता रहा है?
5. शांति और सुरक्षा के संदर्भ में भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए।
6. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती प्रकृति के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति कैसे प्रासंगिक है।
7. भारत संयुक्त राष्ट्र को किस तरह समर्थन देता रहा है? भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनाया जाना चाहिए?



पाठगत प्रश्नों के उत्तर

27.1

1. (क) उपद्रव और टकराव
(ख) स्वस्थ संबंधों
(ग) सुरक्षित अवस्था या भयमुक्त भावना, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र व विश्व की कुशलता
(घ) बेहद खतरनाक संकटों से बचाव
2. क्योंकि यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति, संस्थाएँ, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व बिना किसी खतरे के आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में क्षेत्र या राष्ट्र आमतौर पर आंतरिक रूप से ज्यादा स्थिर



होते हैं, सम्भवतः लोतांत्रिक तरीके से शासित होते हैं। और मानवाधिकार के प्रति अनादर होता है। संघर्ष न सिर्फ खतरा और भय को जन्म देते हैं बल्कि आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन को भी नुकासन पहुँचाते हैं।

3. (i) शांति और सुरक्षा की नई व गैर पारम्परिक धारणा काफी व्यापक है तथा सैन्य धमकी के अतिरिक्त खतरों का व्यापक क्षेत्र तथा मानव अस्तित्व को खतरों को भी समाविष्ट करती है। (ii) इसमें न केवल क्षेत्र और राष्ट्र शामिल है बल्कि व्यक्ति या समुदाय और मानवता भी की सुरक्षा भी इसके दायरे में आती है (iii) नईध्ममज्ञ के अनुसार शांति और सुरक्षा को सामाजिक आर्थिक विकास तथा मानव गरिमा के रख रखाव के पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है। (iv) नई धारणा में व्यक्ति के लिए भूख से मुक्ति, आवश्यकताओं, बीमारियों तथा महामारियों, पर्यावरणीय क्षरण, शोषण तथा अमानवीय व्यवहार से मुक्ति शामिल है।

27.2

1. लोकतंत्र और विकास तथा शांति व सुरक्षा में पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता और विकास नहीं हो सकता। जब शांति स्थापित होती है तभी नागरिक विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने के प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। शांति विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए अति आवश्यक है। दूसरी ओर, लोकतंत्र और विकास के अभाव में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। जन आक्रोश की स्थिति को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र बेहतर स्थिति में होता है। विकास शांति को बढ़ावा देता है। विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा उनके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित कर सकते हैं।
2. विश्व शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विचार और दृष्टिकोण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुए। भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने भली भांति समझा कि स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी कारगर हो सकती है जब विश्व में शांति और सुरक्षा बहाल हो जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समाजवादी उपागम अपनाने के लिए आम सहमति का लक्ष्य उस स्थिति प्राप्त करना था जो शांति के लिए आंतरिक खतरे के विरुद्ध सुरक्षा को बढ़ावा दे सके।
3. संविधान राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में विश्व शांति और सुरक्षा की चर्चा करता है। संघीय व्यवस्था तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना का लक्ष्य आंतरिक सुरक्षा के खतरे को मिटाना है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संविधान ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लक्ष्य की नीति को अपनाया। संविधान में विश्व या क्षेत्रीय स्तर पर शांति, न्यायोचित आर्थिक विकास, मानवाधिकार को बढ़ावा तथा आंतकवाद के उन्मूलन के लिए हर सम्भव समर्थन देने का प्रावधान है।
4. लोकतांत्रिक संस्थाएँ तथा प्रक्रिया को सशक्त करने की आवश्यकता है। देश के सभी भागों में सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज किए जाने के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। भारत को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।



27.3

1. (क) (i) आतंकवाद (ii) विद्रोह (iii) नक्सलवादी आंदोलन
(ख) (i) भय का माहौल बनाने के लिए (i) घातक हमला
(ग) (i) राजनीतिक उद्देश्य से (ii) सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए
2. भारत सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों के प्रयासों का समर्थन करती रही है तथा किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में उनका समर्थन लेती रही है। जहाँ तक राजनीतिक उद्देश्यों की प्रप्ति के लिए विद्रोही गतिविधियों का प्रश्न है, भारत सरकार कूटनीतिक तरीके से इसका सामना करने का प्रयास करती है। भारत ने म्यांमार तथा हाल ही में बांग्लादेश के साथ संधि की है जिससे इन देशों से विद्रोही आंदोलनों को मिलने वाले समर्थन और सहायता को रोका जा सके। ऐसा करने के लिए यह पाकिस्तान पर भी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बना रहा है। नक्सलवादी आंदोलन के संबंध में यह महसूस किया गया कि गहरे सामाजिक, आर्थिक विभाजन होने के कारण यह एक गम्भीर मामला है। उन क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने तथा युवकों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
3. सरकार को देश के सभी क्षेत्रों के सर्वांगण विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। सभी को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों। भागीदारी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए उसमें लगी संस्थाओं और प्रक्रिया को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन के प्रयास आवश्यक है। आतंकवाद को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करने होंगे।

27.4

1. (i) नीति निर्माण में स्वतंत्रता (ii) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा (iii) अन्य देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध (iv) संयुक्त राष्ट्र को समर्थन (v) शस्त्रीकरण उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जातिभेद का विरोध तथा (vi) विकासशील देशों के बीच सहयोग।
2. अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा निर्मित दोनों में से किसी भी सैन्य संधि में शामिल हुए बगैर विदेश नीति के मामले में स्वतंत्रता बनाए रखना गुटनिरपेक्षता का लक्ष्य है। गुट निरपेक्षता न तो तटस्थता है और न ही अलगाववाद। गुटनिरपेक्षता की नीति ने विकासशील देशों को अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करने तथा तनावपूर्ण शीत युद्ध की अवधि में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का अवसर प्रदान किया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन आकार और महत्त्व को नजरअंदाज करते हुए सभी सदस्य देशों को वैश्विक निर्णय निर्धारण और विश्व राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।
3. (क) मुख्य निर्माता
(ख) शांति और सुरक्षा तथा शंतिपूर्ण परिवर्तन के लिए
(ग) शांति बहाली कारवाई, निरस्त्रीकरण?
(घ) स्थायी सदस्य